अल्पकालीन ई–टेन्डर विज्ञप्ति

निदेशालय, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में **जनपद स्तर/विकास खण्ड स्तर/नगर निकायों में विवाह कार्यक्रम के आयोजन एवं कन्या को उपहार स्वरूप दी जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति हेतु इच्छुक संस्थाओं से ऑनलाइन निविदायें दिनांक–01.07.2021 से 08.07.2021 सांय 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।** निविदा की शर्ते एवं प्रतिबन्ध वेवसाइट **https://etawah.nic.in** पर निविदा प्रपत्र में अंकित है। इच्छुक निविदादाता/फर्में उक्त निर्धारित तिथि तक वेवसाइट पर प्रति निविदा प्रपत्र शुल्क रु0 500/– (पाँच सौ मात्र) एवं रु0 10000/– की अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट/एफडीआर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर उक्त निविदि में भाग ले सकते है। दिनांक–09.07.2021 को अपरान्ह 4:00 बजे तक निविदादाता समस्त प्रपत्र/ जमानत धनराशि का ड्राफ्ट मूल रुप में कार्यालय में जमा करें। ई–टेण्डर दिनांक–12.07.2021 को अपरान्ह 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष कार्यालय में खोले जायेंगे।

नोट :–

1– निविदा की शर्ते एवं प्रतिबन्ध निविदा प्रपत्र में उल्लिखित है, जिसका पालन करना अनिवार्य है।

2– निविदा भरने की अन्तिम तिथि–08.07.2021 को सांय 05:00 बजे तक है।

3– निविदा प्रपत्र शुल्क एवं जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित की निविदा समाप्त कर दी जायेगी।

4– वॉँछित प्रपत्र ऑनलाइन न किये जाने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।

(रविन्द्र कुमार शशि)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
इटावा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, इटावा।

पत्रांक– /स0क0/ई–टेण्डर/विज्ञापन/2021–22 दिनांक–

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।

3– उपजिलाधिकारी, चकरनगर।

4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।

5– उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र इटावा।

6– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा।

7– जिला पूर्ति अधिकारी इटावा।

8– जिला कार्यक्रम अधिकारी इटावा।

9– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, इटावा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10– संपादक, दैनिक समाचार पत्र **''दैनिक जागरण'', ''राष्ट्रीय सहारा'' एवं ''अमर उजाला''** के इटावा संस्करण में दिनांक–30.06.2021 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह उपरोक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम आकार एवं अनुमोदित शासकीय दरों पर अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

11– ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12– सहायक निदेशक, सूचना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अल्पकालीन ई–टेन्डर विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
इटावा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, इटावा।

सामूहिक विवाह में 100 कन्या के विवाह के कार्यक्रम के आयोजन में की जाने वाली व्यवस्था एवं कन्या को उपहार स्वरूप दी जाने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा की सामान्य शर्ते।

1- निविदायें निविदा फार्म की शर्ते जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरे जाने चाहिए तथा निविदादाता को निविदा में निहित शर्तो की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए।

2- निविदा में दर्शायी गयी दरें सभी कर सहित होनी चाहिए तथा एफ0ओ0आर0 जनपद इटावा में दिये गये निर्देश के अनुसार सम्बन्धित समारोह स्थल पर होना चाहिए।

3- निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी और निविदाकर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप परिवर्तित हो जायेगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तो के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

4- यदि आपूर्ति हुई वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नही है तो अथवा निर्धारित निर्दिष्टीकरण के अनुसार नही है तो आपूर्ति हुई सामग्री को निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर बदला जायेगा अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

5- आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही करें।

6- क्रय समिति के पास किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार सुरक्षित है। वह किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर सकता है। निविदा की स्वीकृत न्यूनतम दरें गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही की जायेगी।

7- निविदादाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य स्रोतों से प्राप्त कर ले तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली निविदादाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ली जायेगी।

8- निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएं अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नही कर सकता।

9- विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओ का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार रकम का भुगतान किया जायेगा।

10- निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगा।

11- निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण सलग्न करेगें।

- आयकर विभाग द्वारा जारी विगत तीन वर्षो के आयकर रिर्टन की प्रमाणित प्रति।
- निर्धारित अर्नेस्ट मनी का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक/एफडी।
- जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
- चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा गत तीन वर्ष का प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र।
- रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर फर्म का ब्लेक लिस्ट/उपभोक्ता फोरम में कोई विवाद न होने का विवरण।
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा फर्म प्रो0 का चरित्र प्रमाण पत्र ।
- गतवर्ष के जी0एस0टी0 रिटर्न की छायाप्रति ।
- शासकीय क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।

12- निविदा प्रारूप प्रथम-टेक्नीकल विड्स (तकनीकी फार्म) तथा फाईनेंशियल विड (वित्तीय फार्म) दो भागों में जमा (अपलोड) करनी होगी।

13- टेण्डर हेतु टेक्नीकल विड्स (तकनीकी फार्म) तथा फाईनेनशियल विड (वित्तीय फार्म) अलग अलग प्रस्तुत किया जायेगा। टेक्नीकल विड में आयकर रिटर्न, व्यापार कर/जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी इटावा के पक्ष में रु0 10000/- की एफ0डी0आर0 या डी0डी0 एवं पते का प्रमाण पत्र रखा जायेगा। फाईनेन्शियल विड अलग

फीड होगी, जिसमें सामग्री सूची के अनुसार दरों का विवरण जोकि निविदादाता द्वारा प्रमाणित कर अंकित किया जायेगा।

14– निविदादाता का रजिस्ट्रेशन विड अद्यतन व्यापार कर/जी0एस0टी0 कार्यालय में उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु होना अनिवार्य है, जिसकी छायाप्रति टेक्नीकल विड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

15– सर्व प्रथम टेक्नीकल विड को खोला जायेगा जो निविदादाता टेक्नीकल समस्त शर्तो को पूर्ण करेगा, उसकी वित्तीय विड जायेगी। अगर निविदादाता टेक्नीकल विड फार्म की समस्त शर्तो को पूर्ण नहीं करेगा तो उसकी वित्तीय विड नहीं खोली जायेगी।

16– जिस फर्म की निविदा स्वीकृत होगी, उसे रु0 100000/– (रु0 एक लाख मात्र) सिक्योरटी मनी के रूप में 02 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। सिक्योरटी मनी जमा करने के उपरान्त ही कार्यालय से अनुबन्ध किया जायेगा। यदि कोई निविदादाता सिक्योरटी मनी निर्धारित समय सीमा में जमा नही करता है तो उसकी निविदा को निरस्त समझा जायेगा एवं उसके किसी भी दावे पर विचार नही किया जायेगा।

17– निविदादाता को सामग्री की गुणवत्ता आदि संतोषजनक होने पर भुगतान एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किया जायेगा।

18– समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार टेण्डर समिति को होगा।

19– प्रत्येक बिल पर मानक के अनुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य कर कटौतियाँ की जायेगी तथा आप द्वारा जो भी वस्तुओं की दरें दी जायें वह समस्त कर सहित दी जायें, अलग से कोई कर देय नहीं होगा।

20– समस्त वादो का न्याय क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत होगा।

21– निविदादाताओं को निविदा खुलते समय आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री के नमूने समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमे किसी प्रकार का कोई परिर्वतन नही होगा।

22– जिन निविदादाताओं की निविदायें स्वीकार हो जायेगी उनके द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी स्वतः प्रस्तावित आर्पूर्ति हेतु धरोहर राशि(सेक्योरटी डिपोजिट) में समायोजित कर दी जायेगी तथा टेण्डर अस्वीकृत होने पर अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि निविदा हेतु प्रपत्र में अंकित है।

23– सभी निविदादाता निविदा खुलने से पूर्व निविदा प्रपत्र की शुल्क व अर्नेस्ट मनी की एफ0डी0 या डी0डी0 मूल रूप में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी के पक्ष में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

24– बिलों का भुगतान बजट आबंटन की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

25– सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कोविड–19 के दृष्टिगत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूॅ कि क0 सं0 1 से 24 तक की निविदा प्रपत्र में लिखित शर्ते हमें मान्य है।

दिनांक.....................................

निविदा भरने वाले का

हस्ताक्षर व नाम फर्म की मुहर

स्थान...

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, इटावा।

फार्म मूल्य रु0 500/-

सामूहिक विवाह में 100 कन्या के विवाह के कार्यक्रम के आयोजन में की जाने वाली व्यवस्था एवं कन्या को उपहार स्वरूप दी जाने वाली सामग्री हेतु टेक्नीकलल निविदा प्रपत्र सत्र-2021.22

1- निविदादाता का नाम-...............................
फर्म का नाम-..
पता-.................................

फोन-......................,मोबाइल नंबर-................ ई-मेल आईडी..............................

2- यदि संस्था है। संचालक/निदेशक/सचिव का नाम-..
पता-..फोन-.......................,मोबाइल नंबर-..........

ई-मेल आईडी...

3- जी0एस0टी0 नम्बर-.....................

4- पैन नम्बर......................

5- आई0डी0 प्रूफ का विवरण-..........................

6- वर्ष 2021-22 में टर्न ओवर का विवरण-............................

7- अर्नेस्ट मनी रु0............... ड्राफ्ट//एफडी सं0-............. दिनांक-.............

बैक एवं शाखा नाम-...........................

8- निविदादाता निविदा के तकनीकी विड के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

- आयकर विभाग द्वारा जारी विगत तीन वर्षो के आयकर रिर्टन की प्रमाणित प्रति।
- निर्धारित अर्नेस्ट मनी का बैक ड्राफ्ट/एफडी।
- जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
- चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा गत तीन वर्ष का प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र।
- रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर फर्म का ब्लेक लिस्ट/उपभोक्ता फोरम में कोई विवाद न होने का विवरण।
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा फर्म प्रो0 का चरित्र प्रमाण पत्र ।
- गतवर्ष के जी0एस0टी0 रिटर्न की छायाप्रति ।

<u>संलग्नकों की कुल संख्या-</u>

नोट :- उपरोक्त सभी विवरण की पुष्टि में समुचित अभिलेख/प्रमाण पत्र की मूल अथवा प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा दावा अ-मान्य एवं निविदा निरस्त की जा सकती है।

हमने निविदा की शर्ते, नियम, आदि पढ लिया और भली भॉति समझ लिया, जो मुझे मान्य है। उपर्युक्त क्रमांक-1 से 8 तक के सम्बन्धित अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रति एवं बैक ड्राफ्ट मूलरुप में संलग्न है।

हस्ताक्षर

नाम

पता

मुहर

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, इटावा।

फार्म मूल्य रु0 500/-

सामूहिक विवाह में 100 कन्या के विवाह के कार्यक्रम के आयोजन में की जाने वाली व्यवस्था एवं कन्या को उपहार स्वरूप दी जाने वाली सामग्री हेतु टेंक्नीकलल निविदा प्रपत्र सत्र-2021.22

1- निविदादाता का नाम-...............................
फर्म का नाम-..
पता-.................................

फोन-......................,मोबाइल नंबर-................ ई-मेल आईडी..............................

2- यदि संस्था है। संचालक/निदेशक/सचिव का नाम-..
पता-...फोन-.......................,मोबाइल नंबर-..........

ई-मेल आईडी...

3- जी0एस0टी0 नम्बर-.....................

4- पैन नम्बर......................

5- आई0डी0 प्रूफ का विवरण-..........................

6- वर्ष 2021-22 में टर्न ओवर का विवरण-............................

7- अर्नेस्ट मनी रु0............... ड्राफ्ट//एफडी सं0-............. दिनांक-.............

बैक एवं शाखा नाम-...........................

8- निविदादाता निविदा के तकनीकी विड के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

- आयकर विभाग द्वारा जारी विगत तीन वर्षो के आयकर रिर्टन की प्रमाणित प्रति।
- निर्धारित अर्नेस्ट मनी का बैक ड्राफ्ट/एफडी।
- जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
- चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा गत तीन वर्ष का प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र।
- रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर फर्म का ब्लेक लिस्ट/उपभोक्ता फोरम में कोई विवाद न होने का विवरण।
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा फर्म प्रो0 का चरित्र प्रमाण पत्र ।
- गतवर्ष के जी0एस0टी0 रिटर्न की छायाप्रति ।

संलग्नकों की कुल संख्या-

नोट :- उपरोक्त सभी विवरण की पुष्टि में समुचित अभिलेख/प्रमाण पत्र की मूल अथवा प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा दावा अ-मान्य एवं निविदा निरस्त की जा सकती है।

हमने निविदा की शर्ते, नियम, आदि पढ लिया और भली भॉति समझ लिया, जो मुझे मान्य है। उपर्युक्त कमांक-1 से 8 तक के सम्बन्धित अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रति एवं बैक ड्राफ्ट मूलरुप में संलग्न है।

हस्ताक्षर

नाम

पता

मुहर